

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1118/2024

श्रीमती बिन्नी जैन

—अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशालय, कोष एवं लेखा, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री करनपाल सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखा अधिकारी-1 के पद पर संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालियक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के एवं बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किया गया है। जो विधि-विरुद्ध एवं अनुचित है। अपीलार्थी को यात्रा-भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है। अपीलार्थी का पति हृदय रोग से पीड़ित है। जिनको अस्पताल में दिखाने के लिए अपीलार्थी को जाना पड़ता है। उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अपीलार्थी का उक्त प्रकरण डॉ. अजय कुमार बनाम राजस्थान सरकार के उपरोक्त मामले से पूर्णतया समान है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को

- निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत रखा जावे।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
 4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखा अधिकारी-1 के पद पर संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालियक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में सक्षम स्तर से किया गया है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थानप स्थान पर वर्ष 2016 से कार्यरत है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।
 5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य